संख्या-19/2015/वे0आ0-2-275/दस-2015-124(सामान्य)/2010 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक : 15 अप्रैल, 2015**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन समिति हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मु0स0स0-619/दस-2014-141(वे0स0)/2009, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यालय वेतन-समिति, वित्त विभाग के लिये आय-व्ययक को प्राविधानित धनराशि रू0 15742000/- (एक करोड सत्तावन लाख बयालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिए निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि (हजार रू0)
1	01-वेतन	5600	5600
2	03-महंगाई भत्ता	6720	6720
3	04-यात्रा व्यय	100	100
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
5	06-अन्य भत्ते	1025	1025
6	07-मानदेय	300	300
7	08-कार्यालय व्यय	150	150
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200	200
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	10
10	13- टेलीफोन पर व्यय	50	50
11	14-मोटर गाडियों का क्रय	1	1
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	50
13	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700	700
14	29-अनुरक्षण	100	100
15	42-अन्य व्यय	50	50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	45-अवकाश यात्रा व्यय	80	80
17	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	150	150
18	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	200	200
19	49-चिकित्सा व्यय	200	200
20	51-वर्दी व्यय	6	6
	योग:	15742	15742
	(एक करोड सत्तावन लाख बयालिस हजार मात्र)		

(1) उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिए अधिकार प्रदान नही करता, अत: जहॉ कही आवश्यक हों, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्ष-2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-19/2015/वे0आ0-2-275(1)/दस-2015-124(सामान्य)/2010 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0इलाहबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।